झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका **संख्या 1939 / 2022**

दीक्षा कुमारी उर्फ़ दीक्षा कुमारी, उम्र 28 वर्ष, पति- अमित कुमार रजक, पिता- रविंदर रजक, निवासी गर्ल्स स्कूल रोड, जुगसलाई, डाकघर और थाना जुगसलाई, जमशेदपुर, जिला सिंहभूम पूर्व- 831006

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. अमित कुमार रजक उर्फ अमित कुमार, पिता- जोगेन्द्र रजक उर्फ़ जोगेन्दर रजक उर्फ योगेंद्र रजक, निवासी 5, मनीफिट, धोबी लाइन, बंसल कंपनी के पास, डाकघर- बर्मामाइंस, थाना- टेल्को, टाउन जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम - 831004

...विपरीत पक्ष

याचिकाकर्ता की ओर से	: सुश्री प्राची प्रदीप्ति, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	: सुश्री नेहाला शर्मिन, विशेष पीपी
ओ.पी. संख्या 2 के लिए	: श्री सौरव कुमार, अधिवक्ता
	श्री पी.एस. बजाज, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

कोर्ट के द्वारा: - दोनों पक्षों को सुना

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 11/2022 में पूर्वी सिंहभूम में विद्वान सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 02.05.2022 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया था, जो कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 30.11.2021 के आदेश के खिलाफ निर्देशित था, जिसके तहत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर ने विविध आपराधिक आवेदन संख्या 6961 / 2021 को खारिज कर दिया था, जो टेल्को पी.एस. केस संख्या 110 / 2021 से उत्पन्न हुआ था, जो 2021 के जीआर संख्या 2146 के अनुरूप था और उक्त मामला अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि विपक्षी संख्या 2 को पक्षकारों के बीच समझौता के आधार पर दिनांक 05.08.2021 को जमानत दी गई थी। जमानत आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि यदि अभियुक्त समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है, तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। जमानत रद्द करने की प्रार्थना के साथ सूचक की ओर से याचिका दायर की गई थी। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में उपस्थित हुए विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि किसी भी निजी वकील को जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, विद्वान दंडाधिकारी ने विपक्षी संख्या 2 की जमानत रद्द करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया। उक्त आदेश को आपराधिक पुनरीक्षण में चुनौती दी गई थी। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने माना कि

चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे पता चले कि विरोधी पक्षों ने समान आपराधिक गतिविधि में लिप्त होकर या जांच के दौरान हस्तक्षेप करके या गवाहों के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करके या गवाहों को धमकाने या इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, जिससे सुचारू जांच में बाधा आएगी या उसके किसी अन्य देश भाग जाने या भूमिगत होकर या अनुपलब्ध होकर खुद को दुर्लभ बनाने का प्रयास करने की संभावना है, इसलिए, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत रद्द करने की प्रार्थना को सही रूप से खारिज कर दिया है और आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि चूंकि विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को उसके ससुराल वापस ले जाने से इनकार कर दिया है, इसलिए विपक्षी पक्ष संख्या 2 को दी गई जमानत रद्द कर दी जानी चाहिए थी और इसे रद्द न किए जाने पर, विद्वान सत्र न्यायाधीश को आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति देनी चाहिए थी। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने 2022 एससीसी ऑनलाइन **एससी 1779** पैराग्राफ-20 में **भूरी बाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें निम्नलिखित लिखा है:-

> "20. *अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं था कि अपीलकर्ता ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था या उस पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करते हुए किसी भी तरह से व्यवहार किया था। हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि जमानत रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए; और जमानत देने से पहले आरोपी की ओर से किसी कथित अनुशासनहीनता के लिए ऐसा रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जमानत रद्द करने की शक्तियों को आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में नहीं देखा जा सकता है और वास्तव में, ऐसे मामले में जहां जमानत पहले ही दी जा चुकी है, धारा 439 (2) सीआरपीसी के तहत इसे केवल ऐसे मामलों में उलट*

दिया जाता है जहां आरोपी की स्वतंत्रता आपराधिक मामले की उचित सुनवाई की आवश्यकताओं का प्रतिकार करने वाली हो। वर्तमान प्रकृति के मामले में, हमारे विचार में, मुद्दे का अति-विस्तार केवल एक कारण से आवश्यक नहीं था कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने के अपने आदेश में एक विशेष कारक नहीं बताया था।"

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि इस आपराधिक विविध याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा दूसरी ओर विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता विपक्षी पक्ष संख्या 2 की जमानत रद्द करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध का पुरजोर विरोध करते हैं। विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता **अजय कुमार उर्फ अजय गोप बनाम झारखंड राज्य** के मामले में इस न्यायालय द्वारा सीआरएमपी संख्या 2116/2018 दिनांक 16 जून 2023 को पारित निर्णय पर निर्भर करते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने **प्रीतपाल सिंह बनाम बिहार राज्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर किया है, जिसकी रिपोर्ट 2001 एससीसी ऑनलाइन एससी 123 के पैराग्राफ 4 और 5 में दी गई है, जो इस प्रकार है:-

4. "इस मामले में उठाया गया विवाद अपीलकर्ता को बेदखल करने से संबंधित है, जो कि किरायेदार है और जिस परिसर का प्रतिवादी मालिक है। इससे पहले, पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सहमति हुई थी कि अपीलकर्ता प्रतिवादी को एक निश्चित राशि का भुगतान करेगा और निर्धारित समय तक परिसर खाली कर देगा। <u>इस आरोप पर कि अपीलकर्ता निर्धारित समय के भीतर परिसर खाली न करके समझौते की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है, जमानत रद्द करने की याचिका दायर की गई थी।</u> अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि न तो याचिका में अपीलकर्ता को दी गई स्वतंत्रता के दुरुपयोग के बारे में कोई दावा किया गया था और न ही अपीलकर्ता के फरार होने के आधार

पर मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा सामना की गई किसी कठिनाई का आरोप लगाया गया था।

5. *मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता को दी गई जमानत को केवल इस आधार पर रद्द कर दिया कि समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया था। कम से कम, जिस आधार पर जमानत रद्द करने की याचिका बनाई गई थी और दी गई थी, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हमारा मानना है कि यदि आदेश को बरकरार रखा जाता है तो इससे न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखने में स्पष्ट रूप से गलती की है। इसलिए, मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत रद्द करने का आदेश और उक्त आदेश की पुष्टि करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया जाता है। जमानत आदेश बहाल किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।" (जोर दिया गया)* और प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने **ज्योत्सना शर्मा उर्फ़ ज्योत्सना आनंद बनाम झारखंड राज्य और अन्य** के मामले में सीआर.एम.पी. संख्या 2499/2021 दिनांक 01.04.2022 को पारित निम्नलिखित आधारों को उदाहरण के तौर पर यद्यपि विस्तृत रूप से नहीं गिनाया है; जहां किसी आरोपी को दी गई जमानत रद्द की जा सकती है:-

(i) समान आपराधिक गतिविधि में लिप्त होकर,

(ii) जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना,

(iii) साक्ष्य या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया,

(iv) गवाहों को धमकाना या इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होना जिससे सुचारू जांच में बाधा उत्पन्न हो,

(v) उनके किसी अन्य देश में भाग जाने की संभावना है,

(vi) भूमिगत होकर या जांच एजेंसी के लिए अनुपलब्ध होकर खुद को दुर्लभ बनाने का प्रयास किया,

(vii) खुद को अपने जमानतदार की पहुंच से बाहर रखने का प्रयास किया, आदि और प्रस्तुत किया कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि केवल समझौते की शर्तों का पालन न करना, जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों निचली अदालतों ने विपरीत पक्ष संख्या 2 की जमानत रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार न करके कोई अवैधता नहीं की है।

6. विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील ने इसके बाद भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **दौलत राम एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में दिए गए निर्णय **(1995) 1 एससीसी 349** पैरा-4 का हवाला दिया, जो इस प्रकार है:-

> *"4. किसी गैर-जमानती मामले में शुरूआती चरण में जमानत खारिज करना और इस तरह दी गई जमानत को रद्द करना, अलग-अलग आधार पर विचार करके निपटाया जाना चाहिए। पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। आम तौर पर, जमानत रद्द करने के आधार, मोटे तौर पर (उदाहरणात्मक और संपूर्ण नहीं) हैं: न्याय के प्रशासन के उचित तरीके में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास या न्याय के उचित तरीके से बचने या बचने का प्रयास या किसी भी तरह से अभियुक्त को दी गई रियायत का दुरुपयोग। अभियुक्त के फरार होने की संभावना के बारे में रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के आधार पर अदालत की संतुष्टि जमानत रद्द करने का औचित्य साबित करने वाला एक और कारण है। हालाँकि, एक बार दी गई जमानत को बिना इस बात पर विचार किए यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी भी परिस्थिति ने इसे निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं बनाया है ताकि अभियुक्त को मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेने की अनुमति मिल सके। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय*

ने पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का फैसला करते समय इन सिद्धांतों को नज़रअंदाज़ कर दिया। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया गैर-जमानती मामले में जमानत खारिज करने और पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के लिए प्रासंगिक कारकों के बीच अंतर को नजरअंदाज कर दिया है।" (जोर दिया गया)

7. विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने **बिमान चटर्जी बनाम संचिता चटर्जी एवं अन्य (2004)** 3 **एससीसी 388** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया है, जिसके पैराग्राफ 6 और 7 इस प्रकार हैं:

6. हालांकि, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मूल रूप से जमानत देने का आधार अपीलकर्ता द्वारा दिया गया आश्वासन था कि वह समझौता करेगा और अपनी पत्नी को अपने साथ रखेगा और वह अदालत से किए गए उक्त वादे को पूरा करने में विफल रहा है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करना उचित था क्योंकि जमानत देने का आधार अपीलकर्ता द्वारा किया गया वादा था।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात, हम इस राय पर पहुँचे हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर जमानत रद्द करना उचित नहीं था कि अपीलकर्ता ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया था। यद्यपि जमानत देने के मूल आदेश में पक्षकारों द्वारा शुभचिंतकों के माध्यम से समझौता करने की बात करने के लिए सहमति का उल्लेख है, लेकिन न्यायालय में ऐसा कोई निवेदन नहीं किया गया है कि समझौता होगा या अपीलकर्ता अपनी पत्नी को वापस ले जाएगा। जैसा भी हो, हमारे मतानुसार, निचली अदालतें केवल इस आधार पर जमानत रद्द नहीं कर सकती थीं कि अपीलकर्ता न्यायालय से किया गया अपना वादा पूरा करने में विफल रहा। यहाँ हम यह देखना चाहते हैं कि, सबसे पहले, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से, हमें ऐसा नहीं लगता कि पक्षकारों के बीच कोई

समझौता हुआ था, इसलिए, ऐसे समझौते की शर्तों को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा, समझौते की शर्तों को पूरा न करना जमानत देने या रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत देने का काम संहिता के अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत होता है और इसमें दिए गए प्रावधान में समझौते के आश्वासन के आधार पर जमानत देने या ऐसे समझौते की शर्तों के उल्लंघन के लिए जमानत रद्द करने की बात नहीं कही गई है। जमानत देते समय न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उक्त संहिता की धारा 437 में क्या प्रावधान है। हमारी राय में, कानून के उक्त प्रावधान के तहत जमानत दिए जाने के बाद, ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय को कानून के उक्त प्रावधान में जमानत रद्द करने के लिए उल्लिखित आधारों से अलग किसी आधार पर इसे रद्द करने का अधिकार नहीं है।"

8. विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा **बीरेंद्र लोहरा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** मामले में सी.आर. एम.पी. संख्या 3025 / 2021 दिनांक 04.08.2022 को पारित निर्णय पर भी भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि यह सी.आर. एम.पी., बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज किया जाए।

9. प्रतिवादियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद, यहां उल्लेख करना उचित है कि जैसे कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रीतपाल सिंह बनाम बिहार राज्य** (उपरोक्त) के मामले में स्थापित किया गया है, अब तक यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी अभियुक्त को दी गई जमानत केवल इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती कि समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया था। जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने ऐसा कोई कार्य, कर्म या चीज की है जो उसे पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का आधार बन सकती है, जैसा कि इस न्यायालय ने **ज्योत्सना शर्मा उर्फ़ ज्योत्सना आनंद बनाम**

झारखण्ड राज्य एवं अन्य (उपरोक्त) के मामले में विनिर्दिष्ट किया है। किसी अभियुक्त को एक बार दी गई जमानत तब तक रद्द नहीं की जा सकती जब तक कि वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन न करे या संबंधित मामले की निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डालने वाला कोई कार्य, काम या बात न करे। इसे उल्लेख करना असंगत है कि याचिकाकर्ता विपक्षी पार्टी संख्या 2 की जमानत को केवल इस आधार पर रद्द करने की मांग कर रहा है कि उसने पार्टियों के बीच किए गए समझौते की शर्तों और शर्तों का पालन नहीं किया है।

10. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर ने आपराधिक संशोधन संख्या 11/2022 को खारिज करने में कोई अवैधता नहीं की है। इसलिए, इस न्यायालय के पास उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं है।

11. तदनुसार, यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के, **खारिज की जाती है।**

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 24 अप्रैल, 2024
एएफआर/ अनिमेष -सरोज

अनुवादक: एडवोकेट मधु कुमारी